

पत्रांक-योजना बजट-310/2025-6093 / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,  
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक 25/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अघौरा पूर्वी वन प्रक्षेत्र का कार्यालय-सह-आवास एवं अन्य संरचना के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹366.32 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अघौरा पूर्वी वन प्रक्षेत्र का कार्यालय-सह-आवास एवं अन्य संरचना के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹366.32 लाख (तीन करोड़ छियासठ लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-968, दिनांक-18.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, उप शीर्ष-0102-भवन, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-4406010700102, विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो GeM/निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


9. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

10. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

11. संचिका संख्या-310/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-25.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-18.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-25.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-310/2025-6093/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-21/11/2025


प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-310/2025-6093/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-25/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

228


**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, GOVERNMENT OF BIHAR**  
**KAIMUR FOREST DIVISION, BHABUA**  
**PROPOSED DEVELOPMENT OF RANGE OFFICE CAMPUS WITH VARIOUS INFRASTRUCTURE FOR ADHORA EAST RANGE**

SITE DETAILS					
Name of Division	Kaimur Forest Division	Mauza	Lohra	Thana No.	1001
Name of the Range	Adora East	Plot No.	1	Khata No	76
Coordinates	N.24.659709,E.83.655773, N.24.659665,E.83.656586				


ABSTRACT OF COST						
Sl. No.	Description of Head	Unit	Quantity	Per Unit Cost / Plinth Rate	Total Cost	Enclosure
1	Construction of Outer Campus Boundary Wall	Per Feet	1640.00	4950.78 / Feet	₹ 81,19,275.90	Annexure - 1
	Entrance Gate & Exit Gate	LS.	1	₹ 6,48,103.00	₹ 6,48,103.00	Annexure - 2
1	Construction of Range Office Cum Residence (G+1) Area Details Ground Floor Area - 1870.00 Sq.ft. First Floor Area - 1870.00 Sq.ft. Mummy Area - 167.00 Sq.ft. Total Area - 3907.00 Sq.ft.	Per Sq.Ft.	3907 Sq.Ft.	2753.48 / Sq.Ft.	₹ 1,07,57,835.00	Annexure - 3
3	Construction of Four Room Barrack	Per Sq.Ft.	1377 Sq.Ft.	2968.46 / Sq.Ft.	₹ 40,87,574.00	Annexure - 4
4	Construction of Forester Office Cum Residence	Per Sq.Ft.	1232 Sq.Ft.	2866.19 / Sq.Ft.	₹ 35,31,147.00	Annexure - 5
6	Construction of Septic Tank with Soak Pit For Various Infrastructure For Range Office - 1 No. For 4 Room Barrack & Hazat - 1 No. For Forester Quareter - 1 No. Total 3 Nos	Each	3	₹ 2,16,195.00	₹ 6,48,585.00	Annexure - 6
7	Development of Deep Tubewell For Range Office - 1 No. For 4 Room Barrack & Hazat - 1 No. For Forester Quareter & Landscaping- 1 No. Total 3 Nos	Each	3	₹ 4,92,635.00	₹ 14,77,905.00	Annexure - 7
8	Construction of Hazat Cum Store	Per Sq.Ft.	490 Sq.Ft.	2671.21 / Sq.Ft.	₹ 13,08,894.00	Annexure - 8
9	Provision of SKVA OFF GRID SOLAR System with Battery Backup Suitable for Quarter & Tubewell Power Supply. For Range Office - 1 No. For 4 Room Barrack, Forester Quarter & Hazat - 1 No. For External Electrical Work & Tubewell - 1 No. Total 3 Set	Each Set	3.00	₹ 7,03,379.00	₹ 21,10,137.00	Annexure - 9
10	Campus Developmet by Internal Road, Drainage System, Landscaping & External Electrical Work.	LS.	1.00	₹ 39,42,926.31	₹ 39,42,926.31	Annexure - 10
					₹ 3,66,32,381.31	
					Say Rs. :-	₹ 3,66,32,381.00
(Rupees Three Crore Sixty Six Lakh Thirty Two Thousand Three Hundred Eighty One only)						

**NOTE** (i) Estimate is based on minimum wage rate 306/per M.D. and revised to wage rate of 428/ per M.D. thus Rate analysis considered and rate calculation attached.

submitted by



H O F  
Adhara East



Divisional Forest Officer,  
Kaimur Forest Division, Bhabua

Countersigned

Conservator of Forest  
Wildlife Circle, Patna

₹ 3,66,32,381/- Only.  
12/11/23